# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 129/2022
दायर दिनांक :– 01.03.2021

अनवान

1. सोराज सिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. मेवासा तह. जहाजपुर
2. कान सिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. मेवासा तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण..............

बनाम

1. पूजा देवी पत्नि अर्जुन लाल मेघवाल नि. जेतपुरा तह. हिण्डोली
2. लाला पिता उदा बलाई नि. मोतीपुरा
3. श्यामलाल पिता नन्दा खटीक नि. मेवासा तह. जहाजपुर
4. कालू पिता लादू खटीक नि. माल का खेडा तह. जहाजपुर
5. शंकर लाल पिता नाथु लाल खटीक नि. माल का खेडा तह. जहाजपुर
6. छीतर लाल पिता नाथु लाल खटीक नि. माल का खेडा तह. जहाजपुर
7. भूली वेवा मांगीया बलाई नि. मेवासा तह. जहाजपुर
8. लादू पिता पांचीया खटीक नि. मेवासा तह. जहाजपुर
9. नाथू पिता पांचीया खटीक नि. मेवासा तह. जहाजपुर
10. लाली देवी पत्नि रामपाल खटीक नि. मेवासा तह. जहाजपुर
11. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 11.07.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेवासा प. ह. टीटोडा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 140/3, 140/4, 143 कुल किता 03 रकवा 06.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी स्थित है। आ.न. 142, 240 कुल किता 02 रकवा 0.08 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है। आ.न. 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 कुल किता 04 रकवा 06.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी स्थित है। ग्राम मेवासा प. ह. टीटोडा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 156, 157, 157/1, 159/2 कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं आ. सं. 148, 147, 146 कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3, 8, 9, 10 के नाम दर्ज है। खातेदार लादु लाल खटीक फोत हो गया है जिसके विधिक वारीसान अप्रार्थी सं. 4 कालू है तथा खातेदार नाथू पिता पाचीया भी फोत हो गया है उसके विधिक वारीसान अप्रार्थी सं. 5 व 6 है कि मेर पर से ही रास्ता निकलता है। इस रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर ट्रेक्टर बैलगाडी कृषि यन्त्र लाते ले जाते है उक्त रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हैं उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण बन्द करने की धमकीया दे रहे है। उक्त कृषि भूमि जो कि प्राथीगण के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण ही निरन्तर कब्जे काश्त है लेकिन उक्त कृषि भूमि पर कृषि यन्त्र बैलगाडी आदि लाने ले जाने व आने जाने का रास्ता एक मात्र यही है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही हैं प्रार्थीगण के कृषि भूमि पर जाने आने के लिये केवल यह रास्ता केवल सविधा के लिये नही हैं बल्कि इस रास्ते से की प्रार्थीगण को अति आवश्यकता हैं अति आवश्यक है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाने आने कृषि यन्त्र लाने ले जाने ट्रेक्टर बेलगाडी लाने ले जाने के लिये दस फिट का चौडा रास्ता अप्रार्थी सं. 1 से 10 तक की मेर से आने जाने के लिये रास्ता जिसको राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं उस रास्ता में कृषि भूमि आयेगी उक्त कृषि भूमि का शुल्क जमा कराने के लिये प्रार्थीगण तैयार हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने आने के लिए अप्रार्थी सं. 1 से 10 की कृषि भमि की मेर से 10 फुट चौडा रास्ता दिलाने एंव उक्त रास्ता को राजस्व लटठा सीट में तरमीम कर कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 02.10.2021 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 में से रास्ता देने पर 0.02 बीघा, 0.02 बीघा, 0.02 बीघा, 0.01 बीघा, 0.02 बीघा, 0. 02 बीघा कुल 0.11 बीघा हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आने जाने हेतु ख. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थीगण की आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम मेवासा प. ह. टीटोडा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आने जाने के लिये आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 156 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 157/1 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 159/2 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 148 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 146 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 147 रकबा 0.02 बीघा में से रास्ता देने पर कुल 0.11 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा रकबा 0. 11 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 27700 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण (आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 के खातेदार को उनके हिस्से अनुसार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 22 / मु.न. 129 / 2021 दिनांक 11.07.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 129/21 अनवान सोराज सिंह पिता रामसिंह राजपूत, कान सिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. मेवासा बनाम पूजा देवी पत्नि अर्जुन लाल मेघवाल नि. जेतपुरा, लाला पिता उदा बलाई नि. मोतीपुरा, श्यामलाल पिता नन्दा खटीक नि. मेवासा, कालू पिता लादू खटीक नि. माल का खेडा, शंकर लाल पिता नाथु लाल खटीक नि. माल का खेडा, छीतर लाल पिता नाथु लाल खटीक नि. माल का खेडा, भूली बेवा नांगीया बलाई नि. मेवासा, लादू पिता पांचीया खटीक नि. मेवासा, नाथू पिता पांचीया खटीक नि. मेवासा, लाली देवी पत्नि रामपाल खटीक नि. मेवासा में रास्ता तरमीम करने बाबत।

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मेवासा प. ह. टीटोडा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 140/3, 140/4, 143, 142, 240, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2 में आने जाने के लिये आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 156 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 157/1 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 159/2 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 148 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 146 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 147 रकबा 0.02 बीघा में से रास्ता देने पर कुल 0.11 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा रकबा 0.11 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 27700 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण (आ. न. 156, 157/1, 159/2, 148, 146, 147 के खातेदार को उनके हिस्से अनुसार) को जमा/अदा करेंगे। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner